न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 95/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री जुगराज जैन पुत्र श्री हस्तीमल जैन **(एफबीओ/मालिक)** मैसर्स–जैन किराणा एवं प्रोविजन स्टोर, मैन सूंथला रोड, जिला जोधपुर। निवासी :– मैन सूंथला रोड़, जिला जोधपुर।

(2) श्री अनोप राज पुत्र श्री गुमानमल (मालिक) मैसर्स–पारख ट्रेडर्स, 117, जैन महावीर नगर, गुरों का तालाब, जोधपुर। निवासी :– डबगरों की गली, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 04.06.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :–मैसर्स–जैन किराणा एवं प्रोविजन स्टोर, मैन सूंथला रोड, जिला जोधपुर स्थित फर्म के भवन में 500 मिली. के कार्टन में 20 पैक में खाद्य पदार्थ घी (माखनचोर) आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त घी (माखनचोर) में से 500 मिली. कार्टन के 4 सिल्ड कार्टन पैक (कुल 2 लीटर) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 600/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. उक्त खरीदसुदा 500 मिली. कार्टन के 4 सिल्ड कार्टन पैक (कुल 2 लीटर) **घी (माखनचोर)** को मूल ही तुलवाकर/नपवाकर चारों 500 मिली. के सिल्ड कार्टन पैक पर लगाने हेतु नियमानुसार चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–338 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–338 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–338 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त **घी (माखनचोर)** के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–338 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/329/एक्ट/2016/360 दिनांक 06.04.2016 को अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ के नमूना पैक पर Best before given in small letters Contravention of Regulations, 2011 के कारण मिथ्या छाप का होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–338 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण को अनेक अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया, अतः जवाब बन्द किया गया। आवाज लगाई गई बहस हेतु उपस्थित नहीं। एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित प्रतीत होता है।
5. पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लेबोरेट्री की जाँच रिपोर्ट एलएस/329/एक्ट/2016/360 दिनांक 06.04.2016 का अवलोकन किया गया। जिसमें एनालिसिस रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 3 का 4 में Nine months from the date of packing (Given in small letters) लिखे जाने से पैकेजिंग एवं लेबलिंग रेग्यूलेशन 2011 के नियम 2.2.2 (10) का

उल्लंघन पाया गया। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। यदि अप्रार्थीगण लेबोरेट्री की जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे तो रिपोर्ट के विरूद्ध अपील करने का अवसान था परंतु अप्रार्थीगण द्वारा इस कोई अपील नहीं की। अतः अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 के दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 शास्ती रूपये 10000/- अक्षरे रूपये दस हजार तथा अप्रार्थी संख्या 2 शास्ती रूपये 10000/- अक्षरे रूपये दस हजार की आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 6.08.2019 के एक माह के अंदर-अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा नियत तिथी में शास्ती राशि जमा नहीं कराने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जरिये अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के मार्फत भू-राजस्व की तरह वसूली की कार्यवाही करें। ।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 06.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः- न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :-**

प्रतिलिपीः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अभिहित अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-जोधपुर को भेजकर लेख है कि आदेशों की पालना निश्चित समयावधि में सुनिश्चित करें।
3. श्री जुगराज जैन पुत्र श्री हस्तीमल जैन **(एफबीओ/मालिक)** मैसर्स-जैन किराणा एवं प्रोविजन स्टोर, मैन सूंथला रोड, जिला जोधपुर। निवासी :- मैन सूंथला रोड़, जिला जोधपुर।
4- श्री अनोप राज पुत्र श्री गुमानमल (मालिक) मैसर्स-पारख ट्रेडर्स, 117, जैन महावीर नगर, गुरों का तालाब, जोधपुर। निवासी :- डबगरों की गली, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2019.08.21 13:56:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: